कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,जिला भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक / 305 / अजिंद / 2021 भोपाल,दिनांक 31 / 05 / 2021

/ / आदेश / /

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

जिला भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिको के कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए समय समय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। वर्तमान समय में भी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नही हुई है अतः मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 35–09 / 2020 / दो / सी–2 दिनांक 29–05–2021 में जारी दिशा निर्देशो के अनुक्रम में जिला काईसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार पूर्व में जारी कोरोना कर्फ्यू के सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए **मै, अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला भोपाल** दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग मे लाते हुये **सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में 15 जून 2021** तक निम्नानुसार **प्रतिबंधात्मक आदेश / कोरोना कर्फ्यू** आदेश पारित करता हूँ :–

<u>प्रतिबंधित गतिविधियॉ :–</u>

1. सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
2. सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। शुक्रवार रात्रि 08:00 बजे से सोमवार को प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। उक्त अवधि में दूध डेरी प्रातः 06.00 से 09.00 बजे तक तथा केमिस्ट एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रह सकेगें, वैक्सीनेशन कार्य में संलग्न अधिकारियो / कर्मचारियों एवं वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को आने एवं जाने के लिए,आवश्यक वस्तुओं के परिवहन,औद्योगिक इकाईयो के श्रमिको / कर्मियो, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन,बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट / रेल्वे स्टेशन आने जाने तथा परीक्षा / प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिये छूट रहेगी।
3. जिले में खुले एवं बंद स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
4. सभी प्रकार के धरना / प्रदर्शन / जुलूस / ज्ञापन / एकत्रीकरण इत्यादि पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध रहेगा।
5. रूल आफ सिक्स :– अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा ।
6. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान की ऑफलाइन कक्षाऍ पूर्णतः बंद रहेंगी। (आनलाईन क्लासेस चल सकेंगी)
7. सभी सिनेमाघर, शापिंग माल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पाट, ऑडिटोरियम सभागृह इत्यादि बंद रहेंगे।
8. सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे ।
9. अत्यावश्यक सेवायें देने का कार्य करने वाले कार्यालयों (जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति,

नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन विभाग) को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही संचालित किये जा सकेंगे ।

10. अधिकतम 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी ।
11. विवाह में दोनो पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिये विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले अतिथियों के नाम की सूची आयोजक को सम्बंधित क्षेत्र के एस0डी0एम0 को आयोजन से पूर्व प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा ।

प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां :–

1. समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी । इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों को वैद्य आई0डी0कार्ड के साथ आने–जाने की अनुमति रहेगी ।
2. उद्योगों के कच्चा माल/तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
3. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं एवं पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगी ।
4. केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकाने, किराने दुकाने, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार एवं स्टेशनरी की दुकाने पूरे दिन के लिये खुली रखी जा सकेंगी ।
5. पेट्रोल/डीजल पम्प/ गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवायें पूरी तरह से चालू रहेंगे ।
6. सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी । कृषि उपज मण्डी, खाद्य/बीज/कृषि यंत्र की दुकाने खुल सकेंगी ।
7. इलेक्ट्रीकल, हार्डवेयर, मोटर रिपेयर एवं बिल्डिंग मेटेरियल की दुकानें सायंकाल 06.00 बजे तक खुल सकेगी।
8. बैंक,बीमा कार्यालय एवं ए0टी0एम0 चालू रहेंगे ।
9. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल संचालन की अनुमति रहेगी ।
10. बैंक, इन्श्योरेंस, NBFCs से जुड़े संस्थानों के MPIs, Cooperative Credit Socities, कैश मेनेजमेंट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी ।
11. सभी प्रकार के सामानों एवं माल की आवाजाही जारी रहेगी ।
12. सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनो के माध्यम से कोविड–19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी । बसों में यात्रियों को एक सीट छोड़कर ही बैठाया जाए जिससे सामाजिक दूरी बनाई रखी जा सके
13. आटो, ई–रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राईवर तथा दो पैसेंजरों को (फेस मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी ।
14. मोहल्लों/कॉलोनियों/ग्रामों में एकल दुकाने पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी ।
15. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी ।
16. जिले में ई–कामर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी ।

17. येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दुपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड–19 महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए अनुमत्य होंगे ।
18. परम्परागत रूप से Labour Market कोविड–19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की शर्त पर चालू रह सकेंगे । नगर निगम द्वारा सभी स्थानों पर कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
19. सब्जियां/फल फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र से बाहर ही निर्धारित स्थानों पर संचालित होगें। शहर के अंदर हाथ ठेला आदि पर सब्जी/फल फूल का रिटेल में विकय चलित रुप में ही कर सकेगें, एक जगह पर खडे होकर विकय नही किया जाएगा। हाट बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे।
20. एम्बूलेंस आक्सीजन टेंकर का आवागमन निर्बाद्ध रहेगा ।
21. अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकारण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों/कर्मियों को छूट रहेगी ।
22. मेनटेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई0टी0सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी ।
23. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी/अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी ।
24. उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा ।
25. निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी ।
26. घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्राईवर, हाऊस हेल्प/मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी ।
27. फायर बिग्रेड, टेली कम्यूनीकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल/डीजल/केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं,दूध एकत्रीकरण/वितरण, फल–सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी ।
28. हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सम्बंधित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी ।
29. समस्त निजी कार्यालय (Private Commercial Establishment) कुल कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे।
30. समस्त सिविल निमार्ण कार्य, निर्माण स्थल परिसर में कर्मी/श्रमिकों को रुकने की व्यवस्था करने के साथ ही अनुमत्य होंगे।
31. समस्त रेस्टोरेंट, भोजनालय,मिठाई दुकान केवल टेक होम/होम डिलीवरी के लिए खुल सकेगें इनमें बैठकर खिलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
32. समस्त लॉजिंग/होटल/रिसोर्ट केवल आगंतुको के लिए ही खुल सकेंगें। लॉज/होटल/रिसोर्ट में इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा।
33. जिले में देशी विदेशी मदिरा की दुकाने आबकारी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित होंगी ।

सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड–19 के प्रोटोकॉल (फेस मास्क, सेनिटाइजर, 2 गज की दूरी, गोले बनाना व रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवार्य होगा। **इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा।**

शहर के सभी वार्डो में साप्ताहिक औसत के आधार पर डार्क ग्रीन, येलो, आरेन्ज व रेड जोन में बांटा जाएगा जिसमें आरेन्ज व रेड जोन में आने वाले वार्डो को कन्टेनमेंट एरिया बनाकर उपरोक्त गतिविधियॉ पूर्णतः प्रतिबंधित की जाएगी। इसी कम में इस सप्ताह वार्ड क्र0 52 में 70 से अधिक कोरोना पॉज्टिव केसेस आने से इस वार्ड में उपरोक्त प्रतिबंधों से छूट नहीं रहेंगी ।

यह आदेश आम जनता को संबोधित है । चूँकि वर्तमान मे मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नही है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे । अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अत्यंत विशेश परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश **दिनॉक 01 जून 2021 से प्रभावशील होगा।** इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश दिनॉक **31.05.2021** को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

(अविनाश लवानिया)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला भोपाल

पृष्ठांकन कमांक/306/अजिद/2021 भोपाल, दिनॉक 31.05.2021

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1 अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2– आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल
3– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भोपाल ज़ोन भोपाल।
4– उप पुलिस महानिरीक्षक,शहर रेंज, भोपाल।
5– आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल।
6– समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट,समस्त एसडीएम/समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भोपाल।
7– समस्त पुलिस अधीक्षक/समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/समस्त नगर पुलिस अधीक्षक/समस्त थाना प्रभारी भोपाल।
8– केन्द्र निदेशक आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल।
9– उप संचालक, संभागीय जनसंपर्कभोपाल ।
10– प्रभारी अधिकारी,पुलिस नियंत्रण कक्ष,जहॉगीराबाद भोपाल।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला–भोपाल